चुनावी घोषणा पत्र

प्रदेश सरकार का नीति दस्तावेज

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र को हिमाचल प्रदेश की जनता के सम्मुख सभी वायदे पूरा करने की वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत किया है। घोषणा पत्र में संकल्प लिया गया है कि इन वायदों को जन सहयोग और समर्थन से पूरा किया जाएगा। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सत्तासीन होते हुए कुछ वायदों की पूर्ति कर इस दिशा में एक सार्थक शुरुआत कर दी है। घोषणा पत्र को सरकार का नीति दस्तावेज बनाया गया है। हम पाठकों की जानकारी के लिए घोषणा पत्र के मुख्य अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।

2008 से 2013 में हिमाचल के विकास की रूपरेखा

- प्रदेशवासियों को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन देंगे, प्रशासनिक कुशलता बढ़ाएंगे। जनता और प्रशासन के बीच की दूरी समाप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली दुरुस्त करके जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित बनाया जाएगा।
- हिमाचल की वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा और जन जन के सपनों के आदर्श हिमाचल के निर्माण के लिए जन-सहयोग प्राप्त किया जाएगा। स्वावलम्बी, सुशासित, शान्त एवं सुरक्षित हिमाचल बनाएंगे। जनता को महंगाई से राहत देने क लिए सरकारी फजूलखर्ची पर रोक, चोरबाजारी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जाएगा।
- प्रदेश के संसाधनों का चरणबद्ध ढंग से विवेकपूर्ण दोहन होगा। प्रदेश में मूलभूत ढांचे को विकसित कर औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक घर को बिजली और पेयजल सुलभ होगा।
- कुशल कर्मचारियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ समस्त कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति तथा डी.ए. आदि देय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- हिमाचल में महिलाओं के मान-सम्मान की रक्षा होगी और सहकारी ग्रुपों के माध्यम से उन्हें आर्थिक गतिविधियों में लगातार आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- अनुसूचित एवं जनजातीय तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों के आर्थिक हित सुरक्षित करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में समुचित हिस्सा दिया जाएगा और संवैधानिक आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिक हमारे गौरव हैं। भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी, निजी कार्यालयों और उद्यमों में रोज़गार देने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।
- प्रदेश के पैंशनभोगियों को पंजाब पैंशनर्ज की तर्ज पर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा।
- प्रदेश के विकास के लिए किसानों और बागवानों की खुशहाली आवश्यक है, इस उद्देश्य की पूर्ति एवं उनके विकास के लिए कृतसंकल्प है।
- प्रदेश में संतुलित एवं सर्वस्पर्शी विकास सुनिश्चित बनाने के लिए, क्षेत्रवाद को समाप्त कर नए-पुराने हिमाचल का भेद मिटाएगी।
- समाज के सभी वर्गों को न्याय दिया जाएगा। समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को विशेष सहायता दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, निर्धनों को सामाजिक सुरक्षा, विकलांगों को रोजगार, विधवाओं और बेसहारा लोगों को सरकारी सहायता पहुंचाना सरकार का लक्ष्य रहेगा।
- अंत्योदय योजनाएं प्रारंभ करेंगे और सारी योजनाओं में सबसे निर्धन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- दिसम्बर 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश सरकार को 2013 तक 'औद्योगिक पैकेज' दिया था। जिसे तीन वर्ष कम करके 2010 तक सीमित कर दिया। भाजपा सरकार इसे पुनः 2013 तक बढ़वाने का प्रयास करेगी और हिमाचली उद्यमियों को लघु एवं उद्योग लगाने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस चुनावी घोषणा-पत्र को प्रदेश की जनता के सम्मुख, ऊपर दिए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की जनता के सहयोग से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा।

संकल्प

समृद्ध एवं स्वावलम्बी हिमाचल

प्रदेश का विकास तभी संभव है जब हम प्रदेश के संसाधन विकसित कर राज्य की आय बढ़ाई जाए। इसके लिए हम निम्न कार्य करेंगे –

- जल-विद्युत दोहन से प्राप्त रॉयल्टी से प्रदेश को समृद्ध करेंगे तथा केन्द्र और पड़ोसी राज्यों पर जो बकाया निकलता है उसे लेने के लिए हरसंभव उपाय करेंगे ताकि प्रदेश को ऊर्जा राज्य बनाया जा सके।
- केन्द्र सरकार से पहाड़ी राज्यों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे। पिछली भाजपा सरकार को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से 1700 करोड़ की सहायता मिली थी।
- भाजपा सरकार 'विशेष राज्य दर्जा' का लाभ उठाते हुए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अधिक बढ़ावा देगी जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार को 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है।
- प्रदेश सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर विशेष ध्यान देगी और इसके लिए अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जा सके।
- सरकारी खर्चे कम किए जाएंगे।

कुशल, स्वच्छ एवं पारदर्शी

- भाजपा सरकार प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर उसे सुधारेगी और सुनिश्चित करेगी कि जनता के काम निश्चित समय में, निर्धारित प्रणाली से हों। अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा।
- ग्राम पंचायतों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न कार्यालय उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- जनता की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रियों एवं सचिवालय के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जिलाधीश तथा उप-मण्डल अधिकारी/तहसीलदार को प्राधिकृत किया जाएगा ताकि शिकायतें शीघ्र सक्षम अधिकारी तक पहुंच सकें।
- महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक विभाग में एक महिला अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।
- प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार उचित प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे।
- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

रोजगार सृजन एवं युवा कल्याण योजनाएं

प्रदेश में गंभीर हो रही बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :–

- प्रदेश में रोजगर के जो अवसर उपलब्ध हैं उनके अनुरूप युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नए उद्योगों और जल विद्युत परियोजनाओं में नौकरी पाने के लिए योग्य बन सकें। प्रत्येक आई.टी.आई. और पोलिटैक्निक में आवश्यकतानुसार नए ट्रेड खोले जाएंगे और उद्यमियों से सहायता भी ली जाएगी।
- **'जल विद्युत परियोजना प्रशिक्षण संस्थान'** खोला जाएगा तथा शिक्षित बेरोजगारों के सहकारी समूह बनाकर छोटी पनबिजली परियोजनाएं उन्हें दी जाएंगी।
- प्रदेश में स्थापित उद्योगों और परियोजनाओं में 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को दिलवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। मुख्य मंत्री कार्यालय में इसके लिए मॉनीटरिंग सैल बनेगा।
- ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के अंतर्गत हर पात्र व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह योजना सभी जिलों में समान रूप से लागू की जाएगी।
- स्वरोजगार क्षेत्र में युवकों को रियायती ब्याज दरों पर कर्ज देकर अपने व्यवसाय स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। व्यावसायिक स्तर पर **पुष्प उत्पादन और गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन** पर जोर देंगे। **जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र** में नए रोजगारों को बढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र में फसलों के विविधीकरण, सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि, बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा, नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। जड़ी बूटियों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन प्रोत्साहित किया जाएगा और हिमाचल की जैविक विविधता की भी रक्षा की जाएगी।
- प्रदेश में ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु रविवार को 'जनता बाजार' की योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादों, फलों, कुटीर उद्योगों के उत्पादों तथा स्वयं सहायता ग्रुपों के उत्पादों को सप्ताह में एक दिन सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देंगे और गांव के लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रान की जाएगी।
- पर्यटन के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी क्योंकि इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन एवं परिवहन क्षेत्र में निजी उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा और हिमाचलियों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। इनमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाएगा।
- प्रदेश में व्यापक रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास किया जाएगा तथा इस क्षेत्र में प्रदेश के आई.टी. प्रशिक्षित एवं कम्प्यूटर-दक्ष बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी।

कर्मचारी कल्याण

- पजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा और उसमें होने वाली सेवानिवृत्ति काल वृद्धि की सिफारिश पर भी विचार किया जाएगा।
- अंशकीन जलवाहकों की सेवा शर्तों को भी न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत बनाया जाएगा और उनका मानदेय/वेतन बढ़ाया जाएगा।
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी चरणबद्ध ढंग से महंगाई के अनुसार समय-समय पर बढ़ाई जाएगी और आठ वर्ष के सेवाकाल के पश्चात उन्हें नियमित किया जाएगा।
- कर्मचारी उत्पीड़न के सभी मामलों पर तुरंत विचार किया जाएगा और हर तरह के उत्पीड़न को समाप्त किया जाएगा।
- पंजाब-सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को सारी आर्थिक सुविधाएं दी जाएंगी।
- करुणामूलक आधार पर रोजगार देने में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
- कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों के निपटारे के लिए संयुक्त सलाहकार समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा।
- महिला कर्मचारियों को करवा चौथ और रक्षा बंधन का अवकाश मिलेगा। रक्षा बंधन के दिन महिलाओं को प्रेश में मुफ्त यात्रा का अधिकार दिया जाएगा।
- पदोन्नति सम्बन्धित मामलों में देरी नहीं होगी।
- दिहाड़ीदार, अनुबंधित अध्यापक, अंशकालीन वाटर कैरियर, पैराटीचर, प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, विद्या उपासक, ग्रामीण विद्या उपासक, मिड-डे-मील वर्कर, सिलाई कढ़ाई अध्यापक इत्यादि के पद पर नियुक्त सभी कर्मचारियें को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सभी का वेतन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस विषय में स्पष्ट, पारदर्शी नीति कर्मचारी प्रतिनिधियों से बातचीत करके बनाई जाएगी। पी.टी.ए. भर्ती में वरीयता और योग्यता की जहां अनदेखी हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा।
- पंचायत चौकीदारों, टैक्नीशियनों तथा पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
- निश्चित स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी और राजनीतिक आधार पर स्थानांतरण द्वारा उत्पीड़न को समाप्त किया जाएगा। कर्मचारियों के 'बदली उद्योग' में लिप्त दलालों को सजा दी जाएगी।
- चिकित्सकों को एन.पी.ए. नए वेतनमानों के साथ भी दिया जाएगा तथा इसे तर्कसंगत बनाया जाएगा।
- कर्मचारियों को घर बनाने के लिए ऋण प्राथमिकता के आधार पर उदारता से दिए जाएंगे। राजधानी शिमला, जिला मुख्यालय तथा उपमण्डल स्तर पर कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- सहकारी समितियां बनाकर आवास बनाने वाली कर्मचारी–संस्थाओं को भूमि उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा।
- पंचायतों के तकनीकी सहायकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें ग्राम विकास एवं पंचायत अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायत सहायकों में से ही रिक्तियों को भरा जाएगा।
- कर्मचारी संगठनों एवं मजदूर संघों के साथ नियमित बैठकें कर कर्मचारी कल्याण की योजनाएं बनाई जाएंगी।
- सभी कार्यस्थलों/संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु विशेष सैल बनाए जाएंगे।
- डी.ए. की अदायगी समय समय पर और अंतरिम सहायता की किस्तें शीघ्र जारी की जाएंगी।
- कार्पोरेट सेक्टर, स्थानीय निकायों आदि में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पेंशन सुविधा बिना किसी भेदभाव के दी जाएगी। भाजपा ने 2002 में यह सुविधा दी थी जिस पर कांग्रेस ने रोक लगा रखी है।
- राजधानी भत्ता हिल्ज अलाउंस, विंटर अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस, बैकवर्ड एरिया अलाउंस बढ़ाया जाएगा।
- होमगार्डस की सेवा शर्तों में भाजपा ने पहले भी सुधार किया था और उनका दैनिक मानदेय बढ़ाया था पुनः उनका दैनिक मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु योजना बनाई जाएगी। मजदूरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
- कामकाजी महिलाओं के लिए 'कामकाजी महिला होस्टल' जिला स्तर पर खोले जाएंगे।

कृषि, बागबानी, सिंचाई एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास

- फसलों को बंदरों, सूअरों और नील गायों से बचाने की विशेष योजना बनेगी। घने जंगलों में जंगली फलों और रसभरियों को लगाया जाएगा और वहां बंदरों को छोड़ा जाएगा। संरक्षित, बाड़ वाले विशाल क्षेत्र में बंदर शालाएं बनवाई जाएंगी जहां प्रशासन की ओर से तथा बंदर प्रभावित ग्राम पंचायतों की ओर से उन्हें खाना दिया जाएगा। 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' के अंतर्गत फसल रक्षा को 'काम' घोषित कर गांवों में सुरक्षा गार्ड नियुक्त होंगे, जो जंगली जानवरों से खेतों को बचाएंगे। बंदरों की नसबंदी पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञों और ग्रामीणों के सहयोग से योजनाएं बनाकर किसानों को बंदरों और सूअरों के आतंक से मुक्ति दिलाई जाएगी।
- कृषि बीमा योजना को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और उसे प्रमुख फसलों पर लागू किया जाएगा।
- लघु और सीमांत किसानों को विशेष सबसिडी योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
- वनौषधियों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा।
- बीज, खाद तथा रसायनों पर सबसिडी बढ़ाई जाएगी और इनकी गुणवत्ता पर विशेष नियंत्रण रखा जाएगा।
- पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए वृक्षारोपण की बड़ी योजना बनाई जाएगी और वनों का कटान रोका जाएगा। प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे पीपल तथा बड़ जाति के वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के लिए पानी देने हेतु विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
- वन माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- सरकार नकदी फसलों के उत्पादन के लिए विशेष सहायता प्रारम्भ करेगी। बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन और विपणन पर विशेष बल दिया जाएगा।
- जैव कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- खाद्य पदार्थ विधायन को बढ़ावा देकर कृषकों की आर्थिक दशा सुधारी जाएगी।
- सरकार द्वारा अधिक से अधिक भू-क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार की सहायता से जल संरक्षण का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा तथा नालों, खड्डों और नदियों के जल को सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- बड़े पैमाने पर पुष्प तथा खुम्ब उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- सेब के साथ-साथ आम तथा अन्य फलों को भी समर्थन मूल्या दिया जाएगा और इन्हें मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
- शामलात भूमि को भू मालिकों को वापिस लौटाया जाएगा और कांग्रेस सरकार द्वारा इसमें बाधा डालने के लिए बनाए कानूनों को संशोधित किया जाएगा।
- भूमि के रिकार्ड एक वर्ष में 'आनॅ लाइन' कर दिए जाएंगे।
- बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर, गांवों के निकट फल विधायन के उद्योग लगाने में सहयोग दिया जाएगा।
- आलू, मटर, अदरक, लहसुन, टमाटर, गोभी, गंदम, धान, मक्की आदि उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाने के लिए उत्तम कोटि के पशुधन के संवर्धन, अच्छे सस्ते चारे की आपूर्ति और दूध के उचित विपणन की बड़ी योजना बनाई जाएगी। पशु खरीदने के लिए बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।,
- किसान पास बुक तथा कानूनी वैधता प्रमाण-पत्र एक साथ दिया जाएगा।
- कांग्रेस घास व नीला फुलनू कृषि भूमि को नष्ट कर रहे हैं इन्हें समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध काम किया जाएगा और इसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।
- विभिन्न जलस्रोतों पर विशेषकर व्यास-बेसिन सिद्धपुर में महाशीर व अन्य जाति की मछलियों के बीज तैयार किए जाएंगे और मछली पालकों को दिए जाएंगे।
- कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों के परमार्श से प्रदेश की कृषि नीति तैयार की जाएगी।
- गोपाल योजना का विस्तार किया जाएगा और इसे प्रभावी बनाया जाएगा।
- आम तथा अन्य गुठलीदार फलों के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता से नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।

पशु पालन एवं डेयरी विकास

- प्रदेश में दूध की कमी को देखते हुए दुग्ध/श्वेत क्रांति की योजना बनाई जाएगी।
- सस्ती दरों पर चारे की व्यवस्था होगी। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कारगर उपाए किए जाएंगे।
- मिल्कफेड विभाग में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करेंगे और किसानों को दूध का लाभकारी मूल्य देंगे।
- चिलिंग प्लांट में दूध को ज्यादा दिन तक रखने की क्षमता बनाएंगे तथा अन्य दुग्ध पदार्थों के विक्रय की योजना भी बनेगी।

हिमाचल को श्रेष्ठ ऊर्जा राज्य बनाएंगे

- हिमाचल में 20,000 मैगावाट जलविद्युत दोहन की क्षमता का पता लगाया जा चुका है परन्तु अब तक मात्र 6000 मैगावाट विद्युत ऊर्जा का दोहन हो पाया है। हमारी सरकार जल विद्युत ऊर्जा का दोहन कर हिमाचल को श्रेष्ठ ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करेगी।
- वर्ष 2012 तक 12000 मैगावाट विद्युत ऊर्जा दोहन के लिए मास्टर प्लॉन बनाया जाएगा। ऊर्जा दोहन में निजी निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दोहन के लिए केन्द्र सरकार से सहायता भी ली जाएगी और इसमें हिमाचलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- 05 मैगावाट तक के मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्टस अधिकतर हिमाचलियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
- ऊर्जा क्षेत्र में हमारी सरकार बड़ी परियोजनाओं में 30 प्रतिशत इक्विटी पार्टिसिपेशन करेगी ताकि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र से अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पावर स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- नई ऊर्जा परियोजनाओं में 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- शत प्रतिशत आलोकित हिमाचल भाजपा का संकल्प है जिसे हम पूरा करेंगे और कमजोर वर्गों को सस्ती बिजली देंगे।
- बिजली की चोरी और दुर्घटनाएं कम करने के लिए शहरों में भूमिगत केबल डालकर बिजली आपूर्ति की योजना प्रायोगिक स्तर पर शहरों में चलाएंगे।
- जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित, विस्थापित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
- गत पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सभी एम.ओ.यू. की समीक्षा की जाएगी।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास

- भाजपा शिक्षा सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृतसंकल्प है।
- शिक्षा संस्थाओं को जनता की आवश्यकतानुसार खोला और स्तरोन्नत किया जाएगा। पिछली भाजपा सरकार ने जिन कॉलेजों और स्कूलों को खोलने और स्तरोन्नत करने के आदेश दिए थे उन्हें सरकार पुनः खोलेगी और स्तरोन्त करेगी।
- हमारी सरकार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु वचनबद्ध है। मिड-डे-मील परियोजना सुचारू रूप से चलती रहेगी।
- एलिमेन्ट्री, सीनियर सेकंडरी और उच्च शिक्षा के तीनों स्तरों को सुदृढ़ किया जाएगा। एलिमेंटरी शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। एलिमेंटरी अध्यापक, सी.ऐंड वी., बी-एड. तथा लेक्चरर पदों पर नियुक्त अध्यापकों के हितों को तथा अन्य अध्यापकों के हितों को संतुलित किया जाएगा। अध्यापक संगठनों को विश्वास में लेकर शीघ्र इसके लिए कारगर नीति बनाई जाएगी।
- सर्वशिक्षा अभियान को गति दी जाएगी और प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में कमरों के निर्माण का अभियान हाथ में लिया जाएगा।
- शिक्षा विभाग में रेशनलाइजेशन करके हर विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, रिक्त स्थान भरे जाएंगे।
- नए संस्थान वित्तीय व्यवस्था और मूलभूत ढांचे के विकास के बाद ही खुलेंगे।
- रोजगारोन्मुख शिक्षा बनाने के लिए सीनियर सेकंडरी स्तर पर नए कोर्स चलाए जाएंगे।
- वन प्रबन्धन, होटल प्रबन्धन और अस्पताल प्रबन्धन प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोले जाएंगे।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- स्कूलों में बी.पी.एड. कोच नियुक्त किए जाएंगे।
- सभी वर्गों के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज खोले जाएंगे।
- प्रदेश में डेंटल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, संस्कृत विश्वविद्यालय, आई.आई.टी., केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास करेंगे।
- विद्यालयों में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा कम्प्यूटर शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाएगी। कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति एवं नियमितिकरण की समीक्षा की जाएगी।
- भारत केन्द्रित शिक्षा बनाने के लिए पाठ्यक्रमों में अपेक्षित परिवर्तन किए जाएंगे तथा यौन शिक्षा के स्थान पर योग शिक्षा को महत्व दिया जाएगा।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसमें कमजोर वर्ग की निधन छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा भी रहेगी।
- महाविद्यालयों के अध्यापकों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पद नाम दिए जाने पर विचार होगा।
- विद्या उपासकों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा और उनके आर्थिक हितों की रक्षा की जाएगी।
- हिन्दी को विज्ञान शिक्षा माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 1998 से 2003 के दौरान अनुबन्ध पर रखे स्कूल एवं कॉलेज प्रवक्ताओं को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- ग्रामीण स्तर पर बाल संस्कार केन्द्र खोले जाएंगे जिनमें योग शिक्षा दी जाएगी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
- स्तरीय निजी स्कूलों को स्थायी संबद्धता देने पर विचार किया जाएगा तथा शिक्षा बोर्ड से जुड़ी निजी स्कूलों की सारी समस्याओं का समाधान उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

- हमारी सरकार सभी जोनल एवं जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों चिकित्सकों की नियुक्तियां करेगी तथा प्रशिक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। विभिन्न स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नागरिक औषधालय तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध करवाएगी।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रुप बीमा योजना लागू करने पर विचार किया जाएगा।
- आई.जी.एम.सी. शिमला में एम.बी.बी.एस. की सीटें 65 से 100 करवाई जाएंगी।
- मंडी जिला में एक नए मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी।

(क्रमशः)